न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 170/20

वादी :-
1- मोतीराम पुत्र नारायण जाति जाट
निवासी मोड़ीकलां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :-
1-फुलादेवी पत्नि नारायण (फौत) वाद से नाम हटाया गया,
2-रामप्यारी पत्नी हरीराम
3-सुनील पुत्र हरीराम
सभी जातियान जाट निवासी मोड़ीकलां तहसील रियांबड़ी
4-दुर्गा पुत्री अमरचंद
5-दिनेश पुत्र अमरचंद
6-पतासीदेवी पत्नी अमरचंद
7-ममता पुत्री अमरचंद
8-राजूराम पुत्र अमरचंद
9-लाली पुत्री अमरचंद
10-लीला पुत्री अमरचंद
11-नरसी पुत्री मांगूराम
12-मोहनी पत्नी मांगूराम
सभी जातियान सरगरा निवासीगण मोड़ीकलां
13-तहसीलदार रियांबड़ी

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :- 15/5/24

वादी निम्न वाद प्रस्तुत करता है :-

1-यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 हिन्द ु है। तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है।

2-यह है कि मौजा मोड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.9500 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है।

3-यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पूर्वजो की खातेदारी की काष्त व कब्जासुद थी। जिनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को उतराधिकार में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पैतृक भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।

4-यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने वादग्रस्त आराजी करीब 2 वर्ष पूर्व अपनी सहूलियत से बंटवारा कर लिया है जो निम्न प्रकार से है :-

वादी मोतीराम के बंट में-
मौड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.9500 हैक्टर में सें रकबा 0.7375 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

प्रतिवादी संख्या 1 फुलादेवी के बंट में:–
मौड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.9500 हैक्टर में सें रकबा 0.7375 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार।
प्रतिवादी संख्या 2 व 3 रामप्यारी व सुनिल के बंट में :–
मौड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.9500 हैक्टर में सें रकबा 1.2000 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार।
प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के बंट में:–
मौड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.9500 हैक्टर में सें रकबा 0.0350 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार।
प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के बंट में :–
मौड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.9500 हैक्टर में सें रकबा 0.2400 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार।

6–यह है कि उपर वर्णित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स उण्ड बाउण्डस नही हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतू वाद पेश है।

7–यह है कि उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादीगण का सहूलियत से अलग अलग है। मगर मुतनाजा की खातेदारी मे बंटवारा के विपरित नाम दर्ज है। इसलिए वादी यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादपत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित बंट के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की काश्त व कब्जसुद है।

8–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के निम्न तरीके से सादिर फरमायी जावें।

ए.यह है कि घोषणा की डिक्री इस प्रकार की सादिर फरमायी जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित बंट के अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।

बी.यह है कि मुतनाजा खसरान का बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 4 मेंबताये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें तथा उसी अनुसार अलग अलग खातेदारी का ईन्द्राज किया जावें व लगान अलग से कायम करें राजस्व नक्शे में अलग अलग तरमीम की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 12 के सम्मन रजिस्टर्ड भिजवाये गये मगर कोई उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 फुलादेवी का स्वर्गवास हो जाने पर वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम वादी होने से वाद से नाम हटाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वाद से हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक के शामिल मिसल किया गया।

वादग्रस्त आराजी के वर्तमान काश्त कब्जा व राजस्व रेकार्ड अनुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 13 से ली गई। प्रतिवादी संख्या 13 ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि
मौजा मोड़ीकलां के खसरा नंब254 रकबा 2.95 हैक्टर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। खसरा नंबर 254 रकबा 2.95 हैक्टर संयुक्त खातेदारी में पुरानी जमाबंदी ग्राम मोड़ीकलां संवत् 2031 से 2034 के खाता संख्या 81 में पुराने खसरा नंबर 195 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा नारायण पुत्र लादू जाट 3/4, मांगू पुत्र गंगाराम कोम सरगरा 1/4 सा. देह दर्ज है। जो कि आगामी जमाबंदीयों राजस्व रेकार्ड में उतराधिकारी नामान्तकरणो से स्वर्ण जाति व अनुसूचित जाति के राजस्व रेकार्ड में हिस्सा सही चल रहा है।

यह है कि वर्तमान जमाबंदी में खसरा नंबर 254 रकबा 2.95 हैक्टर में मोतीराम पुत्र नारायण 3/8, रामप्यारी पत्नी हरीराम 13/96,सुनिता पुत्री हरीराम 1/96, सुनिल मातवा पुत्र हरीराम 7/32, सरिता पुत्री हरीराम 1/96 कुल स्वर्ग जाति का 3/4 व अनुसूचित जाति का हिस्सा दुर्गा पुत्री अरमंचंद 1/84, दिनेश पुत्र अमरचंद 1/84, ममता

उपखण्ड अधिकारी रिया...

पुत्री अमरचंद 1/84, राजुराम पुत्र अमरचंद 1/84, पतासी पत्नी अमरचंद 1/84,नरसी पुत्र मांगूराम 1/12, मोहनी पत्नी मांगूराम1/12, लाली पुत्री अमरचंद 1/84, लीला पुत्री अमरचंद 1/84 कोम सरगरा कुल 1/4 हिस्सा बनता है।

अतः खसरा नंबर 254 रकबा 2.95 का मौका के अनुसार निम्नानुसार बंटवारा संलग्न नजरी नक्शाअनुसार उचित है।

1–बंटवारा मोतीराम पुत्र नारायण 1/2, रामप्यारी पत्नी हरीराम 1/8, सुनिता पुत्री हरीराम 1/8, सुनिल मातवा पुत्र हरीराम 1/8 सरिता पुत्री हरीराम 1/8 हिस्सा खसरा नंबर 254 रकबा 2.21 हैक्टर रहेगा।

2–दुर्गा पुत्री अमरचंद 1/14, दिनेश पुत्र अमरचंद 1/14, ममता पुत्री अमरचंद 1/14, पतासी पत्नी अमरचंद 1/14, राजुराम पुत्र अमरचंद1/14, लाली पुत्री अमरचद1/14, लीला पुत्री अमरचंद 1/14, नरसी पुत्र मांगूराम 1/4,मोहनी पत्नी मांगूराम 1/4 कोम सरगरा सा.देह खसरा नंबर 254 रकबा 0.74 हैक्टर रहेगा।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादी व प्रतिवादीगण का बंटवारा वादपत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार किया जावें। भूमि संयुक्त खातेदारी की है। मोके पर बंटवारा किया हुआ है। सहूलियत से काश्त काबिज चले आ रहे है। उसी अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध राजस्व रेकार्ड व प्रतिवादी संख्या 13 की राजस्व रेकार्ड व कब्जे काश्त के अनुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार रियांबड़ी की रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार से बंटवाड़ा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

"मौजा मोड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.95 हैक्टर भूमि में से मोतीराम पुत्र नारायण 1/2, रामप्यारी पत्नी हरीराम 1/8, सुनिता पुत्री हरीराम 1/8, सुनिल मातवा पुत्र हरीराम 1/8 सरिता पुत्री हरीराम 1/8 हिस्सा भूमि बंट में रकबा 2.21 हैक्टर रहेगा। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शाअनुसार।
"मौजा मोड़ीकलां के खसरा नंबर 254 रकबा 2.95 हैक्टर में सें दुर्गा पुत्री अमरचंद 1/14, दिनेश पुत्र अमरचंद 1/14, ममता पुत्री अमरचंद 1/14, पतासी पत्नी अमरचंद 1/14, राजुराम पुत्र अमरचंद1/14, लाली पुत्री अमरचद1/14, लीला पुत्री अमरचंद 1/14, नरसी पुत्र मांगूराम 1/4,मोहनी पत्नी मांगूराम 1/4 कोम सरगरा सा.देह के बंट में रकबा 0.74 हैक्टर रहेगा। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शाअनुसार।

तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा इसी निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी